न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 168/2019

वादीगण–

1. दुर्गसिंह पुत्र मेघसिंह जाति , राजपूत निवासी–रोहिणा, तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. मेघसिंह पुत्र रूड़सिंह
2. अमरसिंह पुत्र मेघसिंह
3. श्रीमती गीता कंवर पत्नी श्रवणसिंह
4. बिना कंवर पुत्री श्रवणसिंह
5. विष्णु कंवर पुत्र श्रवणसिंह, जातियान–राजपूत निवासीगण–रोहिणा ,तहसील जायल (नागौर)
6. तहसीलदार जायल

उपस्थिति :–

1. श्री जीयाराम गोदारा अधिवक्ता वादी की ओर से
2. श्री अम्बालाल पारासर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 6 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक : 14/05/2022

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा रोहिणा तहसील जायल में खेत खसरा नं. 603 रकबा 56.03 बीघा रहती चली आई है। जिसमें से 6 बीघा दक्षिणी भाग आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा में वादी के बंट में आया हुवा है ,उस हिस्से पर एक मात्र काश्त वादी का ही है। वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 दीगर प्रतिवादीगण के प्रभाव में है तथा उनके साथ निवास करते हैं तथा प्रतिवादी संख्या 1 कर्ताखान दान होने से वादग्रस्त खसरा उनके खातेदारी में दर्ज है जिसके कारण प्रतिवादीगण वादी को उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि से बंट व हिस्से से मेहरूम करने के लिये ,बेचान,रहन,हस्तानान्तकरण करने पर आमादा है। वादी के जन्म से ही वादग्रस्त पुश्तैनी भूमि में हिस्सा निहित हो गया है। प्रतिवादीगण को ऐसा करने से हमेशा के लिये रूकवाया जाना न्यायोचित हैं। वादीग्रस्त भूमि पुश्तैनी है जिसमें वादी को कानूनी रूप से भी हक निहित होता है ओर वादी अपने निहित हक व अधिकारों पर काबिज काश्तकार रहता आया है। प्रथम दृष्टतया मामला वादी के पक्ष में है अगर प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि को बेचान,रहन,हस्तान्तरण करने में सफल हो गये तो वादी को अपने हक अधिकारों से वंचित रहना पड़ेगा जिससे वादी को भारी क्षति होगी इसलिये प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पांबद किया जावे एवं वादग्रस्त भूमि का बेचान,हस्तानान्तरण आदि नहीं करे और न ही वादी के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी करावें। अतः अनुतोष बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण के इस कदर से फरमावी जावे कि वादग्रस्त खेताय खसरा नंबर 603 रकबा 56.03 बीघा में वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जावे व प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से

14/05/2022
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

पांबद किया जावे कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के किसी भू–भाग का बेचान हस्तानान्तरण रहन आदि नहीं करे और न ही वादग्रस्त भूमि के दक्षिणी 6 बीघा पर वादी के हक हिस्से,बंट व काश्त में किसी तरह की दखलअन्दाजी नहीं करें न ही अन्य से करावें व वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 ने दिनांक 03.03.2021 को उपस्थित न्यायालय होकर ईकबाली जबाब पेश किया। जिसमें वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री जीयाराम गोदारा ने तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की पहचान अधिवक्ता श्री अम्बालाल पारासर ने की। ईकबाली जबाब शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 6 का सम्मन स्वयं से तामील होकर प्राप्त हुआ है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 द्वारा प्रकरण के संबंध में ईकबाली जबाब पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 6 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नहीं किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह दुर्गसिंह पुत्र मेघसिंह के पेश हुये साथ नकल जमाबन्दी ग्राम रोहिणा तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 439 प्रदर्श–1 नकल पेश हुवे, अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा पत्रावली में जरिये ईकबाली जबाब वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफीक ईकबाली जबाब में वर्णित पैराज माफिक नजरी नक्शानुसार स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 के हक बंट की भूमि का जरिये ईकबाली जबाब आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक ईकबाली जबाब वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त अनुसार भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत ईकबाली जबाब दिनांक 03.03.2021 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के द्वारा प्रस्तुत ईकबाली जबाब पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 6 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार खसरा नंबर 603 की खातेदारी मेघसिंह पुत्र रूड़सिंह के नाम दर्ज है तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 अमरसिंह एवं प्रतिवादी संख्या 3 के पति एवं प्रतिवादी संख्या 4 से 5 के पिता श्रवणसिंह(फौत) आपस में सगे भाई है जिनको वादपत्र में खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है, जो कि संयोजित किये गये हैं। जिसके अनुसार

वादी एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत ईकवाली जवाब दिनांक 03.03.2021 में वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 ने आपसी सहमति के अनुसार बंटवाड़ा तथा माफिक नजरी नक्शानुसार काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

प्रकरण हाजा में मौजा रोहिणा के वादग्रस्त खेतायों में वादी का अपने पुश्तैनी बडेर की भूमि में जन्म से हक निहित होने के कारण अपने हक बंट हिस्से की भूमि पर खातेदार के रूप में संयोजित होकर अपने हक हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकता है अतः मौजा रोहिणा के खत खसरा नंबर 603 में वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है। चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा खसरा नं. 603 की भूमि का माफिक ईकबाली जबाब अनुसार बंट चाहा है जो पूर्ण रूपेण विभाजन नहीं है। अतः वाद पत्र में वर्णित खसरा नं. 603 की भूमि का पूर्णरूपेण विभाजन नहीं होने तथा पक्षकारान् के द्वारा हिस्से विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने से हम वादीगण का वाद **बाई मिटस एवं बाउण्ड** आंशिक स्वीकार कर 31.08.2021 को प्राथमिक डिक्री के आदेश पारित किये गये थे।

जिसकी पालना में तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 31.08.2021 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 2335 दिनांक 15.3.2022 को प्राप्त हुआ। प्राथमिक डिकी प्रस्ताव पर वकुलाय/पक्षकारान् को सुना गया। वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् में वादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। मौके पर उपस्थित को नजरीनक्शानुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि निरीक्षक भू.अ वृत तरनाउ की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर से होती है। जिन्होने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अतः मौजा रोहिणा के खसरा नंबर 603 रकबा 56.03 बीघा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 3 को प्रतिवादी संख्या 1 मेघसिंह के साथ सहखातेदार घोषित करते हुवे तथा वादपत्र अनुतोष एवं तहसीलदार जायल से विभाजन बाबत् प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादी का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

राजस्व वाद 168/2019
जीसीएमएस नंबर 2019/00294
दुर्गसिंह बनाम् मेघसिंह वगैरह

– : : आदेश : : –

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत मौजा रोहिणा के खसरा नंबर 603 रकबा 56.03 बीघा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 3 को प्रतिवादी संख्या 1 मेघसिंह के साथ सहखातेदार घोषित करते हुवे तथा वादपत्र अनुतोष एवं तहसीलदार जायल से विभाजन बाबत् प्राप्त पीडी के अनुसार निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी दुर्गसिंह पुत्र मेघसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा रोहिणा का खेत खसरा नंबर 603 रकबा 56.03 बीघा में से 6 बीघा 0.9712 हैक्टेयर दक्षिणी भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. खेत खसरा नंबर 603 का शेष भाग यथावत प्रतिवादीगण संख्या संख्या 1 से 5 के हक बंट कब्जा काश्त सहखातेदारी में रखा जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 14/05/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

14/05/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 168/2019

वादीगण–

1. दुर्गसिंह पुत्र मेघसिंह जाति , राजपूत निवासी–रोहिणा, तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. मेघसिंह पुत्र रूड़सिंह
2. अमरसिंह पुत्र मेघसिंह
3. श्रीमती गीता कंवर पत्नी श्रवणसिंह
4. बिना कंवर पुत्री श्रवणसिंह
5. विष्णु कंवर पुत्र श्रवणसिंह, जतियान–राजपूत निवासीगण–रोहिणा ,तहसील जायल (नागौर)
6. तहसीलदार जायल

उपस्थिति :–

1. श्री जीयाराम गोदारा अधिवक्ता वादी की ओर से
2. श्री अम्बालाल पारासर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 6 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री जीयाराम गोदारा अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 5 हाजरी श्री अम्बालाल पारासर व प्रतिवादी संख्या 6 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – सत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत मौजा रोहिणा के खसरा नंबर 603 रकबा 56.03 बीघा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 3 को प्रतिवादी संख्या 1 मेघसिंह के साथ सहखातेदार घोषित करते हुवे तथा वादपत्र अनुतोष एवं तहसीलदार जायल से विभाजन बाबत् प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी दुर्गसिंह पुत्र मेघसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा रोहिणा का खेत खसरा नंबर 603 रकबा 56.03 बीघा में से 6 बीघा 0.9712 हैक्टेयर दक्षिणी भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. खेत खसरा नंबर 603 का शेष भाग यथावत प्रतिवादीगण संख्या संख्या 1 से 5 के हक बंट कब्जा काश्त सहखातेदारी में रखा जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 14/05/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

14/05/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

तीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ....14/05/2022..... को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

14/05/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)